संख्या-10 /2018-13(1)/1997/का-1-2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 अगस्त, 2018

विषय:- सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

कृपया समूह 'क' के अधिकारियों एवं समूह 'ख', 'ग' तथा 'घ' के सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु निर्गत कार्मिक विभाग के शासनादेश क्रमश: दिनांक 09 मई 1997, दिनांक 01 अगस्त 1997 तथा दिनांक 19 अप्रैल 2012 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपियां संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय स्तरों पर शिकायती पत्रों का निस्तारण उपरिसंदर्भित शासनादेशों में विहित प्रक्रियानुसार नहीं किया जा रहा है, फलत: उक्त आदेशों का पालन न करने के साथ ही मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन न होने की स्थितियां भी उत्पन्न हो रही है।

3- अतएव इस संबंध में मुझे पुन: यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण के प्रत्येक मामले में उपरिसंदर्भित शासनादेशों दिनांक 09 मई 1997, दिनांक 01 अगस्त 1997 तथा दिनांक 19 अप्रैल 2012 में वर्णित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव ।

संख्या-10/2018-13(1)/1997(1)/का-1-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
6. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
7. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।